हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

अष्टम् सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 75

मंगलवार, 31 मार्च, 2015/10 चैत्र, 1937(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समय : 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

11.00 AM

1. **प्रश्नोत्तरः**

(I) **तारांकित प्रश्नः**

तारांकित प्रश्न संख्या 1850, 1852 से 1854, 1856 से 1860 तक के उत्तरों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 1851 का संबंधित मंत्री द्वारा उत्तर दिया गया। माननीय सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण तारांकित प्रश्न संख्या 1853 व 1855 के उत्तर सभा पटल पर रखे समझे गए। तारांकित प्रश्न संख्या 1861 से 1899 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(ii) **अतारांकित प्रश्नः**

अतारांकित प्रश्न संख्या 775, 842 से 857 तक व 779 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

12-00 PM

2. कागजात सभा पटल परः

(1) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री** ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग, रिकार्ड लिफ्टर, वर्ग-IV(अराजपत्रित) के पद के भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्याः टी.एस.एम.-ए(1)-1/2012 दिनांक 17.03.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 19.03.2015 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखी।

(2) **श्री सुजान सिंह पठानिया, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री ने** हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकी उपज़ विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 48(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं तुलन-पत्र, वर्ष 2013-14 की प्रति सभा पटल पर रखी।

12.02 PM

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदनः

(1) **श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति (वर्ष 2014-15)** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का **102वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 273वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **प्रारम्भिक शिक्षा विभाग** से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का **103वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 278वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **उच्चतर शिक्षा विभाग** से सम्बन्धित है;

(iii) समिति के **99वें मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर 131वें कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग** से सम्बन्धित है; और

(iv) समिति के **283वें मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर 22वें कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग** से सम्बन्धित है।

(2) **श्री कुलदीप कुमार, सभापति, प्राक्कलन समिति (वर्ष 2014-15)** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का **13वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि जिला चम्बा में एन0टी0पी0सी0 द्वारा निर्मित परियोजना चमेरा-III द्वारा किए जा रहे मक डम्पिंग से धरवाला गांव में हो रहे नुकसान पर आधारित तथा **बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा विभाग** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति के **37वें मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2011-12) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर द्वितीय कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2013-14) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **नगर एवं ग्राम योजना विभाग** से सम्बन्धित है।

12.03 PM

4. वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए बजट अनुमानों की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदानः

मांग संख्या-9 (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) पर आगे चर्चाः

निम्नलिखित ने चर्चा कीः-

1. श्री बिक्रम सिंह
2. श्री रविन्द्र सिंह

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(विपक्ष के सदस्यों ने माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के उत्तर से संतुष्ट न हो कर 1.25 बजे अपराह्न सदन से बहिर्गमन किया।)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकार ।

मांग पूर्ण रूप से पारित हुई।

(माननीय सदन की बैठक 1.30 बजे अपराह्न भोजनोवकाश के लिए 2.30 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई।)

(सदन की बैठक 2.30 बजे अपराह्न् उपाध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

(विपक्ष के माननीय सदस्य 2.30 बजे अपराह्न सदन में पुनः उपस्थित हुए।)

मांग संख्या-8 (शिक्षा)

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्याः 8 शिक्षा के अन्तर्गत राजस्व और पूंजी के निमित ऑर्डर पेपर के कॉलम नम्बर 3 में दर्शाई गई धनराशियां संबंधित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाए।

इस पर सर्वश्री ईश्वर दास धीमान, रिखी राम कौंडल और श्री रविन्द्र सिंह की ओर से 4 कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए समझे गए।

निम्नलिखित ने चर्चा कीः-

1. श्री ईश्वर दास धीमान
2. श्री रिखी राम कौंडल
3. श्री रविन्द्र सिंह

(**माननीय अध्यक्ष महोदय 3.00 बजे अपराह्न पदासीन हुए।**)

माननीय मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(**माननीय मुख्य मंत्री के उत्तर से संतुष्ट न हो कर विपक्ष ने 3.28 बजे अपराह्न पुनः सदन से बहिर्गमन किया।**)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकार ।

मांग पूर्ण रूप से पारित हुई।

(**विपक्ष के माननीय सदस्य 3.30 बजे अपराह्न पुनः सदन में उपस्थित हुए।**)

अपराह्न 3.30 बजे गिलोटिन लगाया गया।

मांग संख्याः 1,2,3,4,5,6,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25, 26, 27, 28,29,30,31 और 32 पूर्ण रूप से पारित हुई।

3.32 PM

5. विधायी कार्य ः

(I) सरकारी विधेयक की पुरःस्थापना

(i) माननीय मुख्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विनियोग, (संख्यांक-2) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक-2) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश विनियोग(संख्यांक-2) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक-2) पुरःस्थापित हुआ।

(II) <u>सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण</u>

माननीय मुख्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विनियोग, (संख्यांक-2) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक-2) पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।
खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।
अनूसूची विधेयक का अंग बनी।
खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

मुख्य मंत्री ने यह भी प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विनियोग, (संख्यांक-2) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक-2) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

हिमाचल प्रदेश विनियोग, (संख्यांक-2) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक-2) पारित हुआ।

सदन की बैठक अपराह्न 3.35 बजे बुधवार, दिनांक 1 अप्रैल, 2015 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक स्थगित हुई ।